

मुख्य वनसंरक्षक अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-3

(संबंधित वनसंरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित मुख्य वनसंरक्षक ने निरीक्षण किया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेपों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

आवेदनकर्ता उप प्रबंधक गोवा तमनार, ट्रांशमिशन लिमिटेड द्वारा, 765 के.व्ही. डबल सर्किट ट्रांशमिशन लाईन हेतु धरमजयगढ़, रायगढ़ एवं कोरबा वनमण्डल के अंतर्गत कोरबा वनमण्डल में राजस्व वनभूमि 34.095 हे., संरक्षित वनभूमि 6.481 हे., नांरगी वनभूमि 14.848 कुल 55.424 हे., धरमजयगढ़ वनमण्डल में आरक्षित वनभूमि 20.959 हे., संरक्षित वनभूमि 14.001 हे., राजस्व वनभूमि 23.734 कुल 58.694 हे. एवं रायगढ़ वनमण्डल में राजस्व वनभूमि 3.540 हे., संरक्षित वनभूमि 19.356 हे., कुल 22.896 हे.। कुल 137.014 हे. प्रस्तावित भूमि का दिनांक 29.06.2019 एवं 30.06.2019 को स्थल निरीक्षण किया गया है।

15. क्या संबंधित मुख्य वनसंरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वनसंरक्षक के सुझावों से सहमत है।

हाँ

16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित मुख्य वनसंरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

आवेदनकर्ता उप प्रबंधक गोवा तमनार, ट्रांशमिशन लिमिटेड द्वारा, 765 के.व्ही. डबल सर्किट ट्रांशमिशन लाईन हेतु धरमजयगढ़, रायगढ़ एवं कोरबा वनमण्डल के अंतर्गत कोरबा वनमण्डल में राजस्व वनभूमि 34.095 हे., संरक्षित वनभूमि 6.481 हे., नांरगी वनभूमि 14.848 कुल 55.424 हे., धरमजयगढ़ वनमण्डल में आरक्षित वनभूमि 20.959 हे., संरक्षित वनभूमि 14.001 हे., राजस्व वनभूमि 23.734 कुल 58.694 हे. एवं रायगढ़ वनमण्डल में राजस्व वनभूमि 3.540 हे., संरक्षित वनभूमि 19.356 हे., कुल 22.896 हे. कुल 137.014 हे. प्रभावित वनभूमि में सेड्यूल-1 के वन्यप्राणीयों का आवागमन होता है एवं वनक्षेत्र में विभिन्न प्रजाति के पक्षियों की उपस्थिति है। प्रभावित वनक्षेत्र में क्षेत्रीय, ग्रामीणों के द्वारा लघुवनोपज का संग्रहण किया जाता है, प्रभावित

वनभूमि हसदेव नदी के जलग्रहण क्षेत्र में आता है। प्रभावित वनभूमि के प्रत्यावर्तन हेतु वनमण्डलाधिकारी धरमयजगढ़ एवं रायगढ़ के द्वारा अनुसंशा की गई है, वनमण्डलाधिकारी कोरबा के द्वारा कोरबा वनमण्डल में प्रभावित रकबा 55.424 हे. के प्रत्यावर्तन हेतु अनुसंशा नहीं की गई है।

प्रस्तावित विद्युत ट्रांशमिशन लाईन के 10 कि.मी. की परिधी में वन्यप्राणी संरक्षण एवं विलुप्त प्रजाति हेतु Habitat Development, पेयजल व्यवस्था सहित विस्तृत वन्यप्राणी योजना एवं वनक्षेत्रों में पाये जाने वाले पक्षियों के संवर्धन हेतु विस्तृत पक्षी संवर्धन योजना आवेदक संस्थान के व्यय से प्रस्तावित करते हुए वनभूमि प्रत्यावर्तन की अनुशांसा की जाती है।

Hsath
(एच.एल.रात्रे)

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त बिलासपुर
He